	ढकजारी, देवारी, बसुना, ढोली, ढोली टोला, महर्था,दीघिया, परारी,परारी टोला, कमलपुर, बरियाही, बनगाँव, नौलखा, बभगानवा, बसुदेवा, बाल्हा पट्टी, मुरली बसंतपुर, रोहूआ, तुलसियाही पट्टी		
5	सहपुर, अगवानपुर, अकाही, सिसय, सिहौल	सत्तर कट्टईया	सहरसा

पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमशिन लिमिटेड (पीएमटीएल), ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमशिन लिमिटेड (पीएमटीएल), को उपरोक्त पारेषण लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

1. अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता हैं।
2. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना के पूर्व संबंधित प्राधिकरणों अर्थात स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
3. आवदेक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत निर्धारित पारेषण, परिचालन / संचालन एवं अनुरक्षण खुली पहुंच आदि के संबंध में उपयुक्त आयोग के नियमें / संहिताओं का पालन करना होगा।
4. आवेदक को 1) 400 केवीडीसी दरभंगा – सीतामढ़ी (नया) लाइन ट्रिपल स्नोबर्ड कंडक्टर के साथ, 2) 400 केवीडीसी सीतामढ़ी (नया)- मोतिहारी लाइन ट्रिपल स्नोबर्ड कंडक्टर के साथ, 3) पावरग्रिड की 400 केवीडीसी (क्वाड मूस) नबीनगर – गया लाइन के दोनों सर्किटों का चंदौटी (नया) पर लीलो एवं 4) पावरग्रिड की 400 केवीडीसी (क्वाड मूस) पटना – किशनगंज लाइन के दोनों सर्किटों का सहरसा (नया) पर लीलो के निर्माण का उत्तरदायित्व सौंपा जाता हैं। कार्य का विवरण 27 अक्टूबर, 2018 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया हैं।
5. आवेदक संबंधित राज्यों / केंद्र सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का परिचालन करना होगा।
6. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
7. पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमशिन लिमिटेड (पीएमटीएल), को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[फा.सं. CEA-PS-12-15/21/2018-PSPA-II Division]

पी.सी. कुरील, सचिव

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 9th May, 2019

S.O. 1732(E).—Whereas M/s **Powergrid Mithilanchal Transmission Limited (PMTL),** the applicant with its Registered Office at B-9, Qutub Institutional Area, KatwariaSarai, New Delhi-110016, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for construction of "**Eastern Region Strengthening Scheme-XXI (ERSS-XXI)**".